

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-09/8/2017

संख्या-1/क०रा०बी०यो० रथा० 08/16 श्र०सं०.....108...../दिनांक 06.3.17 को आहूत राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, फुलवारीशरीफ, पटना को बंद करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य बीमा चिकित्सालय, फुलवारीशरीफ, पटना के लिए स्वीकृत प्रथम प्रोन्नति के पद, उपाधीक्षक एवं द्वितीय प्रोन्नति के पद अधीक्षक के पद को कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना में समाहित करते हुए चिह्नित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

कामेश्वर प्रसाद
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

संख्या-1/क०रा०बी०यो० रथा० 08/16 श्र०सं०108...../ पटना, दिनांक-09/8/2017
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कामेश्वर प्रसाद
सरकार के उप सचिव।